ग्राम पंचायत विकास योजना

हमारी योजना हमारा विकास

मार्ग निर्देशिका
2015–16

बन रहा है आज संवर रहा है कल

पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश

लोहिया भवन राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

दूरभाष: 0522-2322924 फैक्स : 0522-2322923

email: up.panchayatiraj@gmail.com, panchraj@nic.in | **WEB.:**panchayatiraj.up.nic.in

कैलाश यादव
मंत्री
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश

:: सन्देश ::

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतो के समग्र विकास के दृष्टिगत 'हमारी योजना हमारा विकास' की ओर लक्षित होकर ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत की भूमिका एक पृथक स्थानीय स्वशासन के रूप में है जो कि प्रदेश सरकार की विस्तारित इकाई के रूप में प्रभावी रूप से कार्यो का सम्पादन कर रही है। पंचायतें उपलब्ध संसाधनों से अपना विकास करें, डिजिटली सुविधासम्पन्न एवं दक्ष बनें एवं स्वयं के आय के स्त्रोत विकसित कर स्वावलंबी बन प्रदेश का विकास करें।

इस पुस्तिका के माध्यम से नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण पर बल देते हुए ग्राम पंचायतों में समस्त विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर प्रबंधन एवं क्रियान्वयन कर ग्राम–समुदाय को लाभान्वित किया जा सकेगा।

आशा है ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण विकास को समर्पित ग्राम पंचायत विकास योजना की यह मार्गदर्शिका आपका मार्गदर्शन करेगी।

पुस्तिका के प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं!

(कैलाश यादव)

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
पंचायती राज, उ0प्र0।

:: सन्देश ::

ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास को समर्पित ग्राम पंचायत विकास योजना के मार्गनिर्देशों को पुस्तिका के माध्यम से ग्राम–समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य कियान्वयन इकाई है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक है कि विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया अपनाते हुए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जाए। 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ग्राम पंचायतों के बढ़े हुए दायित्वों एवं धनराशि के हस्तानान्तरण के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर रणनीति निर्धारित करते हुए कार्य करना होगा। संयुक्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15'क' में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है।

वर्तमान में प्रदेश में 59162 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें एवं 75 जिला पंचायतें है जिनमें इस वर्ष पंचायत सामान्य निर्वाचन के पश्चात् नव–निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन प्रस्तावित है। ऐसे समय में ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्गनिदेर्शिका के प्रकाशन से नव–निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को ससमय उनको उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के बारें में प्रशिक्षित कर उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना की जानकारी दी जा सकेगी।

समय आ गया है कि ग्राम पंचायतें समग्र विकास की अवधारणा को आत्मसात् कर समुचित रणनीति बनाकर विकास योजना की सहभागी बनें।

धन्यवाद्!

(चंचल कुमार तिवारी)

उदयवीर सिंह यादव,
निदेशक
पंचायती राज, उ0प्र0।

:: सन्देश ::

महात्मा गांधी ने सदैव "गांव के विकास से ही देश के विकास की अवधारणा" पर विश्वास एवं बल दिया है।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया एवं पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के सक्षम इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रदेश शासन का अनवरत प्रयास रहा है। संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों के स्वरूप एवं उनकी कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आयें हैं। विकेन्द्रीकरण योजना प्रक्रिया में जनसहभागिता तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं से सम्बन्धित चयन, क्रियान्वयन तथा निगरानी का दायित्व भी पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है।

उक्त के क्रम में सम्प्रति गांव के समग्र एवं समेकित विकास के लक्ष्य के दृष्टिगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) की मार्गनिर्देशिका प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायतों के आर्थिक–सामाजिक विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जैसा कि हम सब अवगत है कि उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 15–क मे ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर सुव्यवस्थित ढंग से कार्य किए जाने हेतु दिशा–निर्देश मुख्य सचिव, उ0प्र0 एवं कार्यकारी निर्देश प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों की विकास योजना एक सहभागी योजना होगी, जिसमे पंचायतें सम्पूर्ण समुदाय विशेष तथा ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से आवश्यकताओं को चिन्हित करते हुए स्वयं के विकास के लिए परियोजना का निर्माण करेगी जिससे संविधान के अनुच्छेद 243–जी मे उल्लिखित सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना से न केवल ग्राम का सम्पूर्ण रूप से विकास सुनिश्चित् हो सकेगा अपितु सक्रिय जन भागीदारी के फलस्वरूप ग्राम के गरीब व उपेक्षितों सहित समस्त वर्गो का विकास सुनिश्चित् हो सकेगा। ग्राम पंचायतें योजना के माध्यम से कार्यक्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जेन्डर–न्याय आदि का निराकरण करने मे सक्षम हो सकेगी। इसमें सिर्फ सरकारी सहयोग ही नहीं अपितु अन्य स्त्रोत जैसे सहकारी समितियां, वित्तीय स्वायत्तशासी संस्थाएं, समुदाय की निजी पूंजी, पंचायतों के स्वयं द्वारा अर्जित आय का भी उल्लेखनीय योगदान लिया जा सकता है।

14वें वित्त आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों में नियोजन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा के साथ वर्ष 2015–16 में रू. 3862.60 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के सम्पादन हेतु सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही है। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), अन्त्येष्टि स्थलों का विकास, पंचायत भवनों का निर्माण आदि हेतु वित्तीय संसाधन (धनराशि) एवं मानव संसाधन के रूप में ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जा रही है। आवश्यकता है संसाधनों को समेकित करते हुए वित्तीय एवं मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन योजना की जोकि ग्राम पंचायत विकास योजना के रूप में पंचायतों द्वारा विकसित की जाएगी। इस योजना में ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले समस्त कार्यों का उल्लेख प्राथमिकीकरण उपलब्ध होगा एवं इसको राज्य द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर–प्लान प्लस में अपलोड किया जाएगा। योजनान्तर्गत चयनित कार्यों की वर्क आई.डी. एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर जेनरेट करते हुए व्यय का समस्त विवरण प्रिया–सॉफ्ट सॉफ्टवेयर पर व्यवस्थित किया जाएगा।

इस प्रकार इस मार्ग निर्देशिका के माध्यम से पंचायती राज विभाग, उ.प्र. का यह प्रयास है कि पंचायतें स्वयं के विकास हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित् करते हुए आवश्यकताओं का आंकलन कर समस्याओं को चिन्हित करें, और स्वयं योजना तैयार कर उसका बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रबंधन सुनिश्चित करें।

शुभकामनाओं के साथ!

(उदयवीर सिंह यादव)

ग्राम पंचायत विकास योजना

मार्ग निर्देशिका 2015–16

1	ग्राम पंचायत विकास योजना– एक परिचय	7
	1) पृष्ठभूमि	7
	2) योजना की आवश्यकता	8
	3) योजना का उद्देश्य	8
	4) योजना के महत्वपूर्ण घटक	8
2	ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स इनवलप का निर्धारण	10
	1) मानव संसाधन	10
	2) वित्तीय संसाधन	11
	3) ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना	12
	4) पंचायतों के स्वयं की आय के श्रोत	13
	5) लागत रहित विकास	13
3	सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण	14
	1) सहभागी नियोजन के उद्देश्य	14
	2) वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियॉ	14
4	पारिस्थितिक विश्लेषण एवं सहभागी नियोजन	16
5	आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना	22
	1) प्राथमिकीकरण	22
	2) परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना	22
6	ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जाना	24
7	तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति	26
8	योजना उपरान्त प्रबन्धन	27
9	नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम	28
10	परिशिष्ट–(क)	29
11	परिशिष्ट–ख	31
	जी. ओ.	
	संख्याः 2618 / सीएस / 33–3–2015	36
	ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु मार्ग निर्देश।	
	जी. ओ.	
	संख्याः 3215 / 33–3–2015–10 जी.आई. / 2015	42
	ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु जनपद में की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश।	

1 ग्राम पंचायत विकास योजना– एक परिचय

1) पृष्ठभूमि

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अधिकांशतः ग्राम पंचायतों की है। हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट हैं. जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन इकाई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से किया गया है। किंतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार कार्य लिये जाते रहे है, किसी एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसाधनों का आंकलन कर वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की जाती है। फलस्वरूप जहॉ एक ओर संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाया है वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के समग्र विकास को भी लक्षित नहीं किया जा सका है।

प्रदेश में पूर्व से ही विकेन्द्रित नियोजन की कार्यवाही भी प्रचलित है जिसमें ग्राम पंचायत की सक्रिय भागीदारी सुनश्चित करते हुये उसे अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। संयुक्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 ''क'' में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है। 14 वें वित आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विकेन्द्रित नियोजन की प्रकिया को अपनाते हुये ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है. ग्राम पंचायत विकास योजना का केन्द्र ग्राम पंचायत का समग्र विकास होगा जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित रहेगा बल्कि सामाजिक, आर्थिक, एवं वैयक्तिक विकास भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होगें। ग्राम पंचायत स्तरपर नियोजन की यह प्रक्रिया विकेन्द्रित नियोजन के लिये अपनायी जाएगी, जो वर्तमान प्रकिया से अपने स्वरूप में भिन्न होगी। नवीन प्रकिया में सहभागिता को मुख्यतः लक्षित किया गया है, साथ ही ग्राम पंचायत को दिये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता भी नियत करनी होगी।

➢ 14वां वित्त आयोग

यहॉ यह भी उल्लेखनीय करना आवश्यक है कि 14वें वित आयोग के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–2020 तक रू0 35,775 करोड़ से भी अधिक धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है अतः ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है, जिससे पंचायत को सशक्त बनाने में बल मिलेगा, जनता को बेहतर एवं सुचारू रूप से सेवाएं दी जा सकेंगी।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा ग्राम पंचायत में नियोजन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा की गयी है, ताकि आधारभूत सुविधायें प्रभावी एवं सरल रूप में पहुंचाई जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, परफारमेन्स ग्रान्ट पाने के लिए निर्धारित शर्तों में ग्राम पंचायतों की स्वयं की आय को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना अनिवार्य होगा, इसलिए पंचायतों को स्वयं की आय के स्रोतों को बढ़ाये जाने हेतु प्रभावी रास्ते खोजने होंगे। इसके अतिरिक्त MGNREGA के अन्तर्गत भी ग्राम पंचायतों को लगभग 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रति ग्राम पंचायत को मिल रहे हैं। अतः उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन एवं प्रभावी क्रियान्वयन परमावश्यक है।

➢ चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015–16 में रू0 2035 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है, जिसे कि पंचायतों के समग्र विकास हेतु व्यय किया जायेगा। राज्य वित्त आयोग के

अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 40:10:50 के अनुपात में किया जायेगा। अतः ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोग से पर्याप्त धनराशि 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त होगी जिसको कि समग्र ग्राम विकास हेतु उपयोग करना ग्राम पंचायतों का दायित्व होगा।

2) योजना की आवश्यकता

वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने पर बल नहीं दिया जा रहा था, एवं सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों से पृथक–पृथक विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही थी, किन्तु पंचायत स्तर पर आपसी समन्वय के अभाव में पंचायत का समग्र विकास नहीं हो पा रहा था।

अतः ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी जोकि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी।

3) योजना का उद्देश्य

- ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है।
- निर्णय लेने की प्रकिया का विकेन्द्रीकरण के साथ समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण।
- सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा–निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है।

4) योजना के महत्वपूर्ण घटक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों/उत्तरदायित्वों का हस्तान्तरण किया गया है :–

1. ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव।
2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
3. मध्यान्ह भोजन
4. ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रख–रखाव।
5. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
6. श्रेणी 'द' के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम यथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन।
8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण।
9. पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।

10. ग्रामीण पुस्तकालय।
11. ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम।
12. ग्रामीण आवास योजनायें–लाभार्थियों का चयन।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन।
14. लघु सिंचाई–लाभार्थियों का चयन।
15. ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।

ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में यह व्यवस्था की जायेगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करते हुए सुविधाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात् ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों, आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित किया जायेगा। समस्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार एवं मानव विकास सूचकांक को भी बेहतर करेगा।

संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 के अनुक्रम में तथा भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ग्राम पंचायतें प्रत्येक वर्ष, दीर्घ कालीन विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, एन.आर.एल. एम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत भवन निर्माण, अंत्येष्टि स्थलों का विकास तथा ग्राम पंचायत की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधनों का अभिसरण (कनवर्जेन्स) किया जायेगा।

ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष मिलने वाली योजनावार धनराशि पूर्णतः स्पष्ट होगी जिसकी जानकारी पूर्व से ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना पूर्णतः ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार होगी। यह विकास योजना ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिये तैयार की जायेगी। जिसका क्रियान्वयन किया जाना ग्राम पंचायत के लिये अनिवार्य होगा।

ग्राम पंचायत को योजना बनाने के संबध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का गठन क्लस्टर स्तर पर किया जाना है। 10 ग्राम पंचायतों के समूह को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जायेगा, जो कि एक समन्वयक इकाई की तरह कार्य करेगा और क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों को योजना बनाने में सहयोग प्रदान करेंगी। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक क्लस्टर पर एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने एवं उससे संबंधित कार्य करने हेतु विभिन्न स्तर पर समितियों एवं ग्रुपों का गठन किया जायेगा जिसका विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

2 ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स इनवलप का निर्धारण

ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का आंकलन किया जायेगा। ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों का आंकलन मुख्य रूप से किया जायेगा।

किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय केवल राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से जैसे सहकारी समितियां, वित्तीय स्वायत्तशासी संस्थायें, लोगों की निजी पूंजी आदि स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी आंकलन किया जाना चाहिए।

पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं भावी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने से यह अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा कि उनके आधार पर संचालित किये जाने वाले आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित किया जाना है।

मानव संसाधन के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं अन्य मानव संसाधन जैसे एस.एच.जी., सेवानिवृत्त कर्मचारी इत्यादि का भी सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में योगदान लिया जाना।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध मानव संसाधन निम्नवत् हैं:–

1) मानव संसाधन

(क) मानव संसाधन–पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारीगण

क्र.सं.	प्रति 12 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1.	सचिव	पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास	2	ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य
2.	सफाईकर्मी	पंचायती राज	18	स्वच्छता
3.	रोजगार सेवक (संविदा पर)	ग्राम्य विकास	10	MGNREGA के अन्तर्गत आने वाले कार्य
4.	एन0आर0एल0एम0			योजना में उपलब्ध संसाधन

(ख) अन्य विभागों के कर्मचारी जो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं :–

क्र.सं.	प्रति 12 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1.	ए.एन.एम.	स्वास्थ्य	12	स्वास्थ्य सम्बन्धी
2.	आशा (संविदा पर)	स्वास्थ्य	12	स्वास्थ्य सम्बन्धी

3.	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू.	आई.सी.डी.एस.	24	बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता
4.	तकनीकी सहायक (संविदा पर)	ग्राम्य विकास	1.5	MGNREGA
5.	एल.ई.ओ.	पशुपालन	1	पशुपालन
6.	साक्षरता प्रेरक	साक्षरता एवं वैयक्तिक	12	वयस्क साक्षर

मानव संसाधन के उपरान्त ग्राम पंचायतों के पास दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन वित्तीय संसाधन है जो निम्नवत् है:–

2) वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है।

- स्वयं के संसाधन से (कर आदि लगाये जाने से प्राप्त धनराशि)
- चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि
- राजीव गॉधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि
- अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- C.C Road एवं K.C Drain योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि
- निजी पूॅजी से प्राप्त धनराशि
- पंचायत घर निर्माण
- अन्य संसाधन यदि कोई हो

वर्ष 2015–16 में उपलब्ध होने वाली धनराशिः–

❖ **टाइड फण्ड**

- स्वच्छ भारत मिशन–1533.00 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए
- पंचायत भवन– रू0 20.53 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए (चिन्हित ग्राम पंचायतों को)
- अन्त्येष्टि स्थलों का विकास– रू0 100 करोड़ सम्पूर्ण राज्य में चयनित ग्राम पंचायतों के लिए
- सी0सी0 रोड़ व के0सी0 ड्रेन नाली–450.00 करोड़ डा. राम मनोहर लोहिया ग्रामों के लिए

12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि–

योजना का नाम	प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष	प्रति ग्राम पंचायत प्रत्येक पॉच वर्ष में
एस0बी0एम0	15 लाख अनुमानित	75 लाख
पंचायत भवन (चयतिन ग्राम पंचायत हेतु)	20.53 करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए	102.65 करोड़ पूरे राज्य के लिए

❖ **अनटाइड फण्ड**

- ✍ चौदहवें वित आयोग– रू0 6.54 लाख प्रति ग्राम पंचायत, रू0 448 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष
- ✍ राज्य वित्त आयोग– रू0 4.19 लाख औसतन प्रति ग्राम पंचायत।
- ✍ राजस्व से प्राप्तियां (कर व गैर कर)– ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- ✍ सी0एस0आर0 गतिविधियॉ– इस मद में राज्य जिला प्रशासन तथा पंचायतों के प्रयासों से प्राप्त धनराशि।
- ✍ बी0एच0एस0जी0 फण्ड– रू0 10000.00 प्रति ग्राम पंचायत।
- ✍ मनरेगा– रू0 438005.54 लाख वर्ष 2015–16 में सम्पूर्ण प्रदेश के लिए

12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि

मद का नाम	प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष	प्रति ग्राम पंचायत पॉच वर्ष
चौदहवॉं वित्त आयोग	6.54 लाख	32.70 लाख
राज्य वित्त आयोग	4.19 लाख	20.95 लाख
बी0एच0एस0जी0	0.10 लाख	00.50 लाख
मनरेगा	10 लाख	50 लाख

3) ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना

- ✍ राज्य पी0आर0 पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपर्युक्त सूचना को अपलोड किया जायेगा।
- ✍ प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी (पं0) को ई–मेल के द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, जो वे पंचायत सचिवों को उपलब्ध करायेंगे। पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे।
- ✍ समस्त विभागों के स्तर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके माध्यम से 14वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विवरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा।
- ✍ ग्राम ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यिादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।
- ✍ ग्राम पंचायत द्वारा नीचे दिये गये प्रारूप पर उपलब्ध मानव/वित्तीय संसाधनों का विवरण संकलित किया जायेगाः–

क्र.सं.	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16		टिप्पणी
क	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय / मानव संसाधन	मानव संसाधन	वित्तीय संसाधन	
1	स्वयं के आय के श्रोत (OSR)			
2	14वां वित्त आयोग			
3	चतुर्थ वित्त आयोग			
4	मनरेगा			

5	शून्य लागत की पहल			
6	एनआरएलएम			
7	स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)			
8	एनआरएचएम			
9	सर्व शिक्षा अभियान			
10	महिला एवं बाल विकास			
11	पशुपालन			
12	वन विभाग			
13	अन्त्येष्टि स्थलों का विकास			
14	राम मनोहर लोहिया समग्र विकास– सी0सी0रोड/के0सी0 ड्रेन			
15	अन्य			
ख	संरचनात्मक संसाधन			
1	पंचायत भवन			
2	आगंनवाड़ी केन्द्र			
3	अन्य			
ग	अन्य संसाधन			
1	डेस्ट टाप कम्प्यूटर प्रिन्टर			
2	इन्टरनेट सुविधा			
3	एनआईसी/सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उपलब्ध संसाधन			
4	द्वितीय/सहयोगी आंकड़ों के श्रोत– जनगणना 2011सांख्यिकीय विभाग के आंकड़े ग्रामीण आर्थिक एवं सांख्यिकीय बुलेटिन			

4) पंचायतों के स्वयं की आय के श्रोत

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 से दिये जाने वाले परफारमेन्श ग्रान्ट हेतु अपने स्वयं के आय के श्रोतों को प्रतिवर्ष बढ़ाना अनिवार्य किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पंचायतों को स्वयं के आय के श्रोतों को बढ़ाये जाने हेतु अन्य प्रभावी रास्ते खेजने होंगे। साथ–साथ ग्राम पंचायतों को यह अवसर मिलेगा है कि वे विभिन्न संसाधन क्षेत्रों को चिन्हित करे सके। इस प्रयास से पंचायतों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होगें पंचायतें आत्म निर्भर बनेगी एवं समुदाय के आय के श्रोत बढ़ेगें। लोगों में जिम्मेदारी का भाव आने के साथ–साथ पंचायतों का राजस्व बढ़ेगा, तथा वे परिसम्पतियों का संचालन एवं रख–रखाव स्वतः कर सकेगी।

5) लागत रहित विकास

ग्राम पंचायतों में विकास हेतु यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाय जो बिना लागत के किये जा सकते हैं। यह कार्य स्वैच्छिक सेवायें, एवं संस्थाएं, चंदा, समुदायिक योगदान, कॉरपोरेट सोशल रिस्पान्सेबिलिटी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत नकद, सामान तथा श्रम/दान को सम्मिलित किया जाये।

3 सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण

सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किये जाने के लिए उचित वातावरण बनाना अत्यन्त आवश्यक है। उचित वातावरण निर्माण के लिए प्रचार–प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य से लेकर ग्राम पंचायत के स्तर तक वातावरण निर्माण किया जाना होगा। हर एक स्तर पर वातावरण निर्माण की अलग–अलग रणनीति तैयार किया जाना उचित होगा।

1) सहभागी नियोजन के उद्देश्य

- नियोजन की प्रक्रिया का आरम्भ जमीनी स्तर से हो
- विकास योजना स्थानीय स्तर पर मौजूद सांसाधनों के आधार पर हो
- इस विकास प्रक्रिया में स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायत, युवा, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक प्रतिनिधियों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- इस पूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार समुदाय का हो न कि अन्य किसी का।

2) वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियॉ

सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किये जाने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु निम्नलिखित गतिविधियॉ की जा सकती हैं–

मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण इन्जीनियरिंग विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सहकारिता विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार के साथ–साथ जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उपनिदेशक(पं0), अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतिभागी होंगे।कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों एवं संदर्भ व्यक्तियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा।

- माननीय मंत्री पंचायतीराज के स्तर से सभी स्थानीय निकायों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अवगत कराते हुए पत्र लिखा जाना।
- राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज विभाग एवं राज्य सूचना विभाग के द्वारा किया जायेगा जिससे कि मीडिया को भी वातावरण निर्माण हेतु सहभागी बनाया जा सके।
- उक्त के अतिरिक्त जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यशाला में संबंधित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, समस्त ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, संबंधित विभाग के विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारीद्वारा की जायेगी। विकास खण्ड स्तरीय कार्यशाला में ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन एवं विकास समिति के 2 सदस्य, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए0एन0एम0, आशा, रोजगार सेवक, युवक मंगल दल के अध्यक्ष प्रतिभागी होंगे व अध्यक्षता एस0डी0एम0 द्वारा की जायेगी। पृथक से साप्ताहिक प्रशासनिक ओर रिव्यू मीटिंग भी ब्लाक स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
- ग्राम पंचायत स्तर परयुवक मंगल दल/पंचायती राज विभाग द्वारा दीवार लेखन का कार्य किया जायेगा।

- विकास खण्ड स्तर से निर्धारित तिथि पर ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी वार्ड सदस्यों, ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष तथा अन्य वालेन्टियर बैठक में प्रतिभाग करेंगें जिसमें ग्राम पंचायत व जिला पंचायत स्तर की योजना बनाने हेतु संबंधित गतिविधियॉ और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जायेगी।
- ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य ग्राम वासियों द्वारा ग्राम के मजरों में पद यात्रा/रैली करना। यदि ग्राम पंचायत में मजरों की संख्या 3 से अधिक है तो 3 मजरों में कार्य ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा तथा बाकी बचे मजरों की जिम्मेदारी सदस्यों को प्रधान और सचिव की सहमति से दी जायेगी।
- वार्ड सदस्यों द्वारा स्वयं के वार्ड में बैठक का आयोजन किया जायेगा जिससे वातावरण का निर्माण हो और ग्रामीणों को ग्राम सभा की बैठक एवं ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी हेतु संवेदित किया जा सके। वार्ड सभा की बैठक का आयोजन करने के लिए वार्ड सदस्य द्वारा किसी स्थायी/अस्थायी/स्वंय सहायता समूह/युवक मंगल दल की मदद ली जा सकती है।
- वार्ड सदस्यों द्वारा वार्ड में रहने वाले लोगों की अपेक्षाओं, जरूरतों और मांगों को निर्धारित प्रारूप पर इकट्ठा किया जायेगा और जानकारी को ग्राम पंचायत सचिव को नियोजन एवं विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिया जायेगा तत्पश्चात किसी मॉग को हटाये बिना उन्हें छांटने और विश्लेषण करने के पश्चात् ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी के सम्मिलित हस्ताक्षर से पत्र द्वारा ग्राम प्रधानों और कर्मियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में जागृत किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा चलचित्र के माध्यम से फिल्म दिखाकर वातावरण का निर्माण किया जा सकता है।
- राज्य की परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रचार–प्रसार किया जा सकता है जिससे उचित वातावरण का निर्माण एवं जनमानस में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार किया जा सके।
- स्वंय सहायता समूह का सहयोग वातावरण निर्माण हेतु लिया जा सकता है।

4 पारिस्थितिक विश्लेषण एवं सहभागी नियोजन

ग्राम पंचायत की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि पारिस्थितिक विश्लेषण किया जायें जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्यों का निर्धारण किया जाये।

पारिस्थितिक विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े के साथ–साथ प्रारम्भिक आंकड़ों को विभिन्न माध्यमों से जैसे पी0आर0ए0 टूल्स, सर्वे इत्यादि से आंकड़े इकट्ठा कर पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना होगा। परिस्थितिक विश्लेषण की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष सलाह के लिए रखी जायेगी साथ ही साथ यह रिपोर्ट स्वयं सहायता समूहों, विशेषज्ञों से भी सलाह हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है इसके उपरान्त परिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा।

पारिस्थितिक विश्लेषण को तैयार करने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता हैः–

1. प्राथमिक आंकडे
2. द्वितीय/सहयोगी आंकडे

1. प्राथमिक आंकडें (Primary data)

प्राथमिक आंकडों के संकलन हेतु सहभागी नियोजन की प्रक्रिया अपनाते हुए पी0आर0ए0 (सहभागी ग्रामीण आंकलन) पद्धति का उपयोग किया जायेगा। पी0आर0ए0 ग्रामीणों की महत्वपूर्ण समस्यायें एवं निराकरण की संभावनाओं को शीघ्रतम ज्ञात करने हेतु यह एक अनौपचारिक तरीका है। प्राथमिक आंकडों के संकलन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को उपयोग किया जा सकता हैः–

1. क्षेत्र भ्रमण
2. सामाजिक मानचित्रण
3. संसाधन मानचित्रण
4. ऋतु आधारित परिवर्तन चित्रण
5. चपाती चित्रण
6. मैट्रिक्स क्रमांकन
7. आर्थिक वर्गीकरण
8. सेवायें/ उपलब्धता/ अवसर मानचित्रण
9. समय रेखा
10. खुली समूह चर्चा

ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिक आकड़ों को निम्नवत् रूप से चिन्हित किया जायेगाः–

- ✍ प्रारम्भिक आंकड़ें (Primary data)
  - ➢ संसाधन मानचित्रीकरण
  - ➢ सामाजिक मानचित्रीकरण
  - ➢ स्वयं सहायता समूहों की संख्या
- ✍ वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड सदस्यों द्वारा मांग पत्र/आवश्यकतायें।
- ✍ स्वास्थ्य सम्बन्धित आंकडें जैसे आई0एम0आर0, एम0एम0आर0, कुपोषण, ए0एन0एम0 द्वारा उपलब्ध आंकड़ें।

- ✍ कृषि और पशु–पालन की जरूरतों की सूची।
- ✍ वार्ड सभा और ग्राम सभा के दौरान वांछित समुदायों जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति की सहायता के लिए चिन्हित आवश्यकतायें।

2. द्वितीय/सहयोगी आंकडे (Secondary Data)

- ✍ जनगणना और सांख्यकीय विभाग के आंकड़े
- ✍ एस0ई0सी0सी0 आंकड़े
- ✍ ग्रामीण आर्थिक और सांख्यकीय बुलेटिन
- ✍ अन्य शासकीय सर्वे रिपोर्ट

उपरोक्त प्राथमिक एवं सहयोगी आंकड़ों का आंकलन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित सेवाओं का पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना आवश्यक होगा–

➢ **क्षेत्र–1–आधारभूत सेवाओं का पारिस्थितिक विश्लेषण**

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
पेयजल व्यवस्था	पेयजल के स्रोत व संख्या (हैडपम्प, कुऑ, तलाब, पाइप वाटर सप्लाई आदि)		
स्वच्छता	✍ शौचालयों की संख्या– व्यक्तिगत/सामुदायिक/ स्कूल ✍ साफ–सफाई की व्यवस्था ✍ कूड़ा–कचरा निपटान ✍ ठोस/तरल पदार्थों का प्रबन्धन		
प्रकाश व्यवस्था	बिजली के पोलों की संख्या, रख–रखाव, घरेलू बिजली का बिल भुगतान		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	✍ राशन कार्डों की श्रेणी एवं संख्या ✍ राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था		
अंत्येष्टि स्थलों/ कब्रिस्तानों का विकास			
शिक्षा	✍ स्कूलों की संख्या व प्रकार ✍ शिक्षकों की संख्या उपलब्धता ✍ ड्रापआउट की स्थिति/कारण ✍ मध्यांहन भोजन की व्यवस्था		
पार्क का रख–रखाव	पार्क की व्यवस्था		
नागरिक सेवायें	✍ जन्म/मृत्यु पंजीकरण ✍ परिवार रजिस्टर कॉपी ✍ विवाह रजिस्ट्रेशन आदि		
लाइब्रेरी रख–रखाव			
युवाओं को खेल और स्वास्थ्य विकास में सहायता			

स्वच्छता	✍ प्राथमिक/सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता ✍ टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता–गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं ✍ स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प ✍ बाल जन्म/मृत्यु दर ✍ कुपोषण ✍ मौसमी बीमारियॉ, महामारी आदि ✍ नशावृति		
बाल विकास एवं पोष्टाहार	✍ आंगनबाड़ी की संख्या ✍ आंगनबाड़ी में उपलब्ध सुविधायें ✍ कुपोषित बच्चों की संख्या		
गरीबों, वृद्ध व्यक्तियों			
ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख–रखाव			
पौध रोपण : सामाजिक वानिकी			

➢ क्षेत्र 2–संरचनात्मक ढांचे का पारिस्थितिक विश्लेषण

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
गॉव में रोड और नालियों का निर्माण और रख–रखाव			
अंत्येष्टि स्थलों/ कब्रिस्तानों का विकास			
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख–रखाव			
हैण्डपम्प			
ए0एन0एम0 सब–सेन्टर			
पंचायत भवन, गॉधी चबूतरा, बारात घर, चौपाल			
ग्रामीण बाजार			
कूड़ा–कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ाघर और कूड़ा गड्ढा			
ग्रामीण लाइब्रेरी			

➢ क्षेत्र 3–आर्थिक विकास क्षेत्र का पारिस्थितिक विश्लेषण

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
कृषि में सहायता–कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन			
मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के माध्यम से कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना			
स्वयं के रोजगार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना			
हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना			
फलों के खेती (Horticulture) में सहयोग			
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि			

➢ क्षेत्र 4–संवेदनशील क्षेत्रों का पारिस्थितिक विश्लेषण

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (प्रथक से निर्धारण)			
एन0एस0ए0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय के लाभार्थियों का चयन			
अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण			
अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को पुरस्कृत करना और छात्रवृत्ति			
सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्पसंख्यकों को सही तरीके से प्राथमिकता देना			
सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रधानों को पुरस्कृत करना			

➢ **क्षेत्र 5–लागत रहित विकास से संबंधित परिस्थितियों का विश्लेषण**

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्यायें एवं आवश्यकतायें	निराकरण
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसबिलिटी (CSR)			
श्रमदान			
अक्षम को समुदाय द्वारा सहायता			
सामाजिक विसंगतियों पर कार्य करना जैसे दहेज, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि			
झगड़ों/वाद–विवाद का निपटान			
ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें			

✍ **पंचायतों के आधारभूत आंकड़ें हेतु प्रारूप**– परिशिष्ट–ख में दिये गये प्रारूप पर ग्राम पंचायतें पंचायतों के आधारभूत आंकड़ों का संकलन करेंगी।

✍ **सुझाव/मांग/आवश्यकताओं का संग्रह हेतु प्रारूप**–

ग्राम पंचायत का नाम :				
क्षेत्र पंचायत का नाम :				
जिला पंचायत का नाम :				
क्र.सं.	प्रस्तावक	प्रस्ताव	प्रस्ताव की प्रकृति लाभार्थीपरक/संरचनात्मक	अपेक्षित लाभ

✍ ग्राम/वार्ड स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु पी0आर0ए0 सहजकर्ताओं के समूह का निर्माण निम्नलिखित तौर पर किया जायेगा।

टीम लीडर	ग्राम/वार्ड पंचायत
पी0आर0ए0 सहजकर्ता	02 व्यक्ति (रिर्सोस ग्रुप)
नोट ट्रेकर	01 व्यक्ति (रिर्सोस ग्रुप)
सुपरवाईजर	प्रभारी अधिकारी
सहायक	विभिन्न विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी (सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, एनजीओ आदि)

✍ ग्राम पंचायतों की संख्या के सापेक्ष ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या कम है इस कारण योजना निर्माण प्रक्रिया के बेहतर संचालन हेतु प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों पर 1 कलस्टर के निर्माण का निर्णय लिया गया है। निर्मित कलस्टर पर विभिन्न विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, पशुपालन विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना विभाग, साक्षरता एवं वैयक्तिक शिक्षा, पशु विकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग) को पृथक–पृथक रूप से प्रभारी चार्ज आफिसर नियुक्त किया जाना अपेक्षित है

सहभागी नियोजन

सहभागी नियोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समुदाय जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्याओं का निदान खेजेगा एवं इन समस्याओं का समाधान भी ढूढ़ेगा। सहभागी नियोजन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

- वार्ड सदस्य द्वारा नागरिकों हेतु वार्ड स्तरीय बैठक
- नुक्कड़ सभाएं
- महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों से सम्पर्क किया जाना
- दीवार लेखन एवं स्पीकर से प्रचार–प्रसार
- रैली एवं पदयात्रा
- सम्बन्धित विभाग के कार्यकर्ता जैसे आशा, ए0एन0एम0, ऑगनवाड़ी प्रेरकों आदि का उपयोग किया जायेगा।
- प्रांतीय रक्षादल युवाओं, नेहरू युवा केन्द्र कार्यकर्ताओं एवं भारत निर्माण स्वयं सेवकों का भी उपयोग किया जायेगा।
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीगण।

5 आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना

1) प्राथमिकीकरण

✍ ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करने हेतु ग्राम सभा की बैठक बुलाई जायेगी। सभी वार्ड सदस्यों द्वारा वार्ड स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं का आंकलन कर ग्राम सभा में रखा जा सकता है।

✍ पारिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही साथ जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम सभा में पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी दी जायेगी इसके उपरान्त जन समान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा परिस्थितिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण किया जायेगा।

✍ सभी विकासात्मक आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण ग्राम सभा की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार ही किया जायेगा।

✍ कार्यों का प्राथमिकीकरण निम्नलिखित विषयों के आधार पर किया जा सकता है:–

- ✓ विभिन्न विषयों के द्वितीय/सहयोगी आंकडों का संदर्भ ग्रहण करना।
- ✓ गरीब परिवारों की अवश्यकताओं को ध्यान में रखना।
- ✓ समुदाय का एकमत होना।
- ✓ संसाधनों की उपलब्धता।
- ✓ तकनीकी औचित्य/सम्भव्यता।

✍ प्राथमिकतावार कार्यों का विवरण हेतु निम्नलिखित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा–

ग्राम पंचायत का नाम :
क्षेत्र पंचायत का नाम :
जिला पंचायत का नाम :
वर्ष .....

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य का क्षेत्र	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	लाभार्थी अंश	योजना का परिव्यय (सामान्य/ एस.सी. /एस.टी.)

2) परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत वर्णित सभी कार्यों की परियोजना तैयार करनी होगी। परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया जायेगा–

1–परियोजना का नाम।

2–तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन की दिनांक।

3–परियोजना की उपयोगिता एवं योजना का संक्षिप्त विवरण साथ ही साथ लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण भी दिया जायेगा।

4–लागत मूल्य जिसमें तकनीकी लागत सम्मिलित होगी (तकनीकी लागत की सूची को संलग्न किया जायेगा) एवं साधनों का विवरण।

5–परियोजना की क्रियान्वयन की समय सारणी।

6–परियोजना का परिणाम।

7– अनुश्रवण एवं रख–रखाव प्रणाली का विवरण भी दिया जायेगा।

8– निर्माण किये जाने वाले कार्यों का लगाातार पुनर्निरीक्षण एवं अनुश्रवण ग्राम पंचायत निर्माण कार्य समिति द्वारा किया जायेगा।

✍ परियोजना का चिन्हीकरण निम्नलिखित प्रारूप पर किया जायेगा–

ग्राम पंचायत की वार्षिक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

वर्ष .....

ग्राम पंचायत का नाम :				
क्षेत्र पंचायत का नाम :				
जिला पंचायत का नाम :				
क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का विवरण	प्रस्तावित व्यय	परियोजना से अपेक्षित लाभ

6 ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

1– ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमीकरण करने के उपरान्त ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जायेगी, बैठक में सचिव एवं पंचायत अधिकारियों के साथ–साथ सभी सम्बन्धित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा कुछ विशेषज्ञ पंचायत एवं स्वशासीय निकायोंसे भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किये जा सकते है। सभी आवश्यकताओं एवं कार्यों के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों की सहायता से एक सप्ताह के अन्दर राज्य में प्रचलित दरों के अनुसार सभी कार्यों का अनुमानित आंकलन तैयार किया जायेगा।

2– ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गये कार्य की तुलना में 150 प्रतिशत कार्य लिए जायेंगें, क्योंकि हो सकता है कि नवकार्यो की विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय या किसी अन्य समस्या के कारण प्राथमिकता वाले कार्य न लिए जा सकें। कार्य के चिन्हीकरण एवं अनुमानित आंकलन ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार कर उपलब्ध करा दिया जायेगा। उसके उपरान्त ग्राम पंचायत की बैठक बुलायी जायेगी एवं ग्राम सभा की प्राथमिकता तथा रिसोर्स इन्वलप के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा।

3– ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।

4–ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात् कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा। एक श्रेणी में वह कार्य किये जायेंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किये जायेंगे और दूसरी श्रेणी में सभी अन्य कार्य ब्लाक तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किये जायेंगे। यदि तकनीकी अधिकारियों की कमी होती है तो राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्थाओं का का इनपैनलमेन्ट किया जायेगा।

5– ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जायेगा।

✍ वार्षिक कार्ययोजना में लिए गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण हेतु प्रारूप

परियोजना वर्षः
ग्राम पंचायत का नाम :
क्षेत्र पंचायत का नाम :
जिला पंचायत का नाम :
वर्ष .....

✍ ग्राम पंचायत विकास योजना निम्नलिखित प्रारूप पर चिन्हित की जायेगी–

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना	घटक का नाम	प्रस्तावित धनराशि			समुदाय का सहयोग	स्वयं की आय
				सामान्य (नॉन एस.सी. स्पेशल कम्पोनेन्ट/ एस.टी. स्पेशल कम्पोनेन्ट)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		

ग्राम पंचायत विकास योजना
अनुकृमणिका

1) परिचय :
2) ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण :
3) पंचायत का विजन स्टेटमेन्ट :
4) पारिस्थितिकी विश्लेषण का विवरण :
5) बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची
6) ग्राम पंचायत योजना में लिए गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण :
   (क) ग्राम पंचायत योजना में लिए गये कार्यों का विस्तृत विवरण
   (ख) पंचायत के स्रोतों द्वारा लिए गये कार्यों का विवरण
   (ग) लाइन विभाग के स्रोतों द्वारा लिए गये कार्यों का विवरण
7) क्षेत्रवार विवरण :
   (क) टाईड कम्पोनेन्ट (क्षेत्रवार अपेक्षित आवंटन के सापेक्ष सुनियोजित परिव्यय) :
   (ख) अनटाईड कम्पोनेन्ट (अपेक्षित आवंटन) :
8) योजनावार अपेक्षित आवंटन के सापेक्ष सुनियोजित परिव्यय :
9) कार्य का विवरण (योजनावार) :
10) अन्य बिन्दु :

7 तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

1. रू0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना को टुकड़ों मे विभाजित नहीं किया जायेगा।
2. रू0 50,001 से रू0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3. रू0 250001 से रू0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. रू0 500001 से उपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. बिन्दु 2 से सम्बन्धित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण खण्ड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. बिन्दु 3 से 4 तक से सम्बंधित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा। खण्ड/जिला स्तर पर नामित तकनीकी अभियन्ता, कार्ययोजनावार तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन सम्बधि आंकडों का संकलन एवं रख–रखाव निम्नलिखित रूपपत्र पर करेंगें:–

क्रम सं0	कार्य का नाम/व्यय का विवरण	तकनीकी अनुमोदन, नं0 तथा दिनांक	बजट	प्रशासनिक स्वीकृति, नं0 तथा दिनांक	वित्तीय स्वीकृति, नं0 तथा दिनांक	बजट हेड/फंड के साधन	टिप्पणी

✍ जिला योजना प्रबन्धन इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सभी ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर अपलोड करेंगी।

8 योजना उपरान्त प्रबन्धन

1. ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन तथा स्वशासन हेतु पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार तथा विभाग द्वारा मार्ग दर्शिका तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जायेगी।
2. पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का उपयोग, फंड का प्रवाह तथा खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।
3. ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
4. ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के दौरान विभिन्न गतिविधियॉ यथा सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण, पारिस्थितिक विश्लेषण पर चर्चा, आवश्यकताओं का प्राथमीकीकरण हेतु की गई ग्राम सभा तभा ग्राम पंचायत की बैठको की कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग किया जाना अनिवार्य होगा।
5. सम्बन्धित विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायत कर्मियों को योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जायेगा ताकि विशिष्ट जिम्मेदारियों को अंकित करते हुए उनका मूल्यांकन किया जा सके।
6. उचित माध्यमों द्वारा ग्राम पंचायतों को समय–समय पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताने के लिए उचित निर्देश जारी किये जायेंगे।
7. सामाजिक लेखा परीक्षण (सोशल ऑडिट) का प्राविधान किया जायेगा।
8. विकास खण्ड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

9 नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम

1. प्लान प्लस साफ्टवेयर पर (www. planningonline.gov.in) ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन साफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जायेगा।
2. एक्शन साफ्ट साफ्वेयर (www.reportingonline.gov.in) पर हर एक कार्य का विवरणफीड किया जाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार पंचायतों के साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य किये जाने हेतु लैपटाप एवं स्मार्ट फोन की व्यवस्था करेगी। एक्शन साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा।
3. एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है (विवरण परिशिष्ट–क पर है) जिनके अध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन हैं। उच्च शक्ति प्राप्त समिति त्रैमासिक बैठक करेगी जिसमें नीति विषयक एवं क्रियान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण किया जायेगा।
4. राज्य स्तर पर एक राज्य रिसोर्स ग्रुप का गठन किया गया है(विवरण परिशिष्ट–क पर है) जो पंचायतों की सहायता एवं लगातार राज्य स्तर से विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण करेगी ।
5. राज्य स्तर पर एक हेल्प लाईन का गठन किया जायेगा जो पंचायतों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।
6. राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट बनाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी किया जायेगा।
7. एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का गठन किया जायेगा जिसका उद्धेश्य ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना होगा।
8. जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे एवं संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
9. सभी कार्यक्रमों की धनराशि पंचायत को सीधे ई–ट्रांसफर से उनके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
10. तकनीकी संस्थाओं एवं प्रबन्धन संस्थानों से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में आवश्यक्तानुसार सहायता ली जायेगी।
11. तकनीकी सहायता हेतु प्राइवेट इन्जीनियर की भी सहायता लिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

10 परिशिष्ट–(क)

समितियों एवं विभिन्न ग्रुपों का गठन एवं दायित्व चार्ट

क्र0सं0	समिति / ग्रुप	समिति के सदस्य	दायित्व
1–	उच्च शक्ति प्राप्त समिति	शासनादेशसंख्या 182418 / 33–3–2015–10 जी0आई0 / 2015 लखनऊ दिनॉक 26 जून 2015 से गठित समिति निम्न प्रकार से है। 1–कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन– अघ्यक्ष, 2–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग उपाध्यक्ष 3–प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सदस्य 4–प्रमुख सचिव नियोजन विभाग सदस्य 5–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग सदस्य 6–प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वा0 सदस्य 7–प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल वि0 विभाग सदस्य 8–आयुक्त ग्राम्य विकासविभाग सदस्य 9–निदेशक पंचायती राज विभाग सदस्य सचिव	राज्य स्तर से ग्राम पंचायतो को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण से सम्बंधित कार्य तथा भारत सरकार स्तर पर सचिव कान्फ्रेस मे लिए गये निर्णयों,फालोअप, क्रियान्वयन एवं परिपालन कराया जायेगा।
2–	राज्य स्तरीय रिसोर्स ग्रुप	शासनादेश संख्या 1824 / (11) / 33–3–2015–10 लखनऊ दिनॉक 26 जून 2015 से गठित समिति निम्न प्रकार से है। 1. अपर निदेशक पंचायती राज –अध्यक्ष 2.उपनिदेशक पं0 लखनऊ मण्डल–सदस्य, 3 स्टेट कन्सल्टेंट– सदस्य, 4.संयुक्त आयुक्त (मनरेगा प्रकोष्ठ) कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग– सदस्य 5 शोध अधिकारी नियोजन विभाग सदस्य 6.प्रचार प्रशिक्षण अधिकारी दी0द0उ0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान सदस्य	राज्य स्तर से ग्राम पंचायतो को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण से सम्बंधित कार्य तथा भारत सरकार स्तर पर सचिव कान्फ्रेस मे लिए गये निर्णयों,फालोअप, क्रियान्वयन एवं परिपालन कराया जायेगा।

3–	जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति	जिलाधिकारी–अध्यक्ष, जिला पंचायत राज अधिकारी–सदस्य सचिव एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य	जिला स्तर पर निर्धारित नीतिगत निर्णयों का संचालन एवं समन्वयन।
4–	क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप	सहायक विकास अधिकारी(पं0)–अध्यक्ष, खण्ड स्तर पर तैनात सभी विभागों के तकनीकी अधिकारीगण–सदस्य	ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित प्रोजेक्ट के असिस्टेन्ट तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना, तकनीकी प्रबन्धक तैयार कराना।
5–	ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप–क्लस्टर स्तर पर	चार्ज अधिकारी–हेड क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सचिव सदस्य, कार्यरत विभागों के क्षेत्रीय स्टाफ एवं दो रिसोर्स व्यक्ति	अपने अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराना, परिस्थितीय विश्लेषण तैयार कराना। सहभागी नियोजन, योजना निर्माण, क्षमता संवर्धन के लिए रणनीति तैयार कराना,
6–	ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप	ग्राम पंचायत सचिव–अध्यक्ष, समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी–सदस्य एवं ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात तकनीकी अधिकारी–सदस्य	ग्राम पंचायत विकास योजना में लिये गये कार्य हेतु स्टीमेट तैयार करना एवं तकनीकी प्रस्ताव तैयार करना।

11 परिशिष्ट–ख

ग्राम पंचायत प्रोफाइल प्रारूप

- ग्राम पंचायत का नामः
- विकास खण्ड का नामः
- जनपद का नामः
- ग्राम पंचायत की खण्ड मुख्यालय से दूरीः
- ग्राम पंचायत की पक्की/मुख्य सडक से दूरीः
- ग्राम पंचायत की सिविल अस्पताल से दूरीः
- ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफलः
- औसत जमीन प्रति परिवारः
- ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी का मोबाइल नं0ः
- ग्राम प्रधान का मोबाइल नं0ः
- परिवारों का विवरण
- कुल जनसंख्याः
- कुल घरों की संख्याः
- घरों के प्रकार

कच्चा	पक्का	कच्चा–पक्का	झोंपड़ी

- ए0पी0एल0 परिवारों की संख्याः
- बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या
- लिंग अनुपातः
- साक्षरता दरः
- धर्म

हिन्दू	मुसलमान	सिख	ईसाई	बौद्ध	अन्य

- जातिगत संरचना

क्रम सं0	जाति	ए0पी0एल		बी0पी0एल0		कुल योग
1	अनुसूचित जाति	स्त्री	पुरूष	स्त्री	पुरूष	
2	अनुसूचित जनजाति					
3	अन्य पिछडा वर्ग					
4	सामान्य					

- भौगोलिक क्षेत्र (हेक्टेयर/बीघा)

खेती योग्य भूमि		चरागाह	वन भूमि	बंजर/उसर जमीन	अन्य	कुल
सिंचित	असिंचित					

- सिंचाई के साधन

सिंचाई के साधन	सिंचित भूमि
नहर	
पम्प सेट	
तलाब	
ट्यूबवेल	
वर्ष	
अन्य	

- अधिसम्पत्ति का विवरण

बडे कृषक	मध्यम कृषक	छोटे कृषक	खेती मजदूर	भूमिहीन	कुल

- खेती का तरीका

खेती के प्रकार	फसल के प्रकार	कुल बोया क्षेत्र	कुल बीमा की हुई फसल
रबी			
खरीफ			
जैद			

- पीने के पानी के स्त्रोत

	इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प	कम गहरे हैण्डपम्प	कुआं	पी.एच.डी. स्टैण्ड पोस्ट	नदी	नहर	तालाब
संख्या							
परिवारों की सं0							

- आय के स्त्रोत

आय के स्रोत	**कुल सम्मिलित ग्रामवासी**	**कुल सम्मिलित परिवार**
खेती		
खेतीहर मजदूर		
गैर–खेतीहर मजदूर		
व्यवसाय		
नौकरी		
अन्य स्पष्ट करें		

- सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधायें

क्रम सं0	सुविधायें		हॉ / नहीं	संख्या	दूरी	प्रकार	संपर्क
	विद्यालय	**सरकारी**					
1		प्राथमिक					
2		अपर प्राथमिक					
3		हाई स्कूल					
		प्राइवेट					
4		प्राथमिक					
5		अपर प्राथमिक					
6		हाई स्कूल					
7	सामुदायिक केन्द्र						
8	धार्मिक बिल्डिंग	मन्दिर					
9		मस्जिद					
10		गुरूद्वारा					
11		चर्च					
12		बौद्ध मन्दिर					
13	बिजली व्यवस्था	परिवारों की सं0					
14	राशन की दुकान						
15	टेलीफोन नेटवर्क						
16	पोस्ट ऑफिस						
17	किराना की दुकान						
18	पोलिस स्टे0 / चौकी						
19	स्वास्थ्य सुविधा	हेल्थ सब सेंटर					
20		पी.एच.सी.					
21		ए.एन.एम.					
22		आशा					
23		प्राइवेट					
24		जानवरों का क्लीनिक					
25	एम्बुलेंस						
26	सडक व्यवस्था (कच्चा / आर. सी.सी. / पक्का / खडण्जा)						
27	पानी निकासी की व्यवस्था						
28	स्ट्रीट लाइट						
29	अन्य						

- ग्राम स्तरीय संगठन

क्रम सं0	संगठन का प्रकार (वित्तीय/स्वयं सहायता समूह /समुदाय आधारित संगठन/स्वैच्छिक संस्थायें)	सदस्यों की संख्या	कार्यक्षेत्र	पता	टेलीफोन नं0	टिप्पणी

- वित्तीय संस्थायें

क्रम सं0	संस्था का प्रकार (स्वयं सहायता समूह/बैंक आदि)	पता	टेलीफोन नं0	ग्राम पंचायत से दूरी	ग्राम पंचायत के बैंक में खाताधारकों की संख्या

- स्वच्छता सुविधायें

क्रम संख्या	शौचलय अनउपस्थित कुल परिवारों की संख्या	शौचलय उपस्थित कुल परिवारों की संख्या	स्वंनिर्मित शौचालयों के परिवारों की संख्या	सरकार सहायतित शौचालयों वाले परिवारों की संख्या

- विद्यालय स्वच्छता

क्रम संख्या	प्रकार	शौचालय (हॉ/नहीं)	लडके/लडकियों के लिए पृथक शौचालय (हॉ/नहीं)	लडके/लडकियों के लिए पृथक शौचालय /मूत्रालय (हॉ/नहीं)	बाल मैत्री शौचालय डिजाइन (हॉ/नहीं)	शौचलयों पर चित्रों एवं स्लोगन का लेखन
	सरकारी					
1	प्राथमिक					
2	अपर प्राथमिक					
3	हाई स्कूल					
	प्राइवेट					
4	प्राथमिक					
5	अपर प्राथमिक					
6	हाई स्कूल					

- आंगनबाड़ी स्वच्छता

क्रम संख्या	आंगनबाडी की संख्या	बच्चों की संख्या		शौचालय (हॉ/नहीं)	बाल मैत्री शौचालय डिजाइन (हॉ/नहीं)	शौचलयों पर चित्रों एवं स्लोगन का लेखन
		लडके	लड़कियॉ			

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विवरण

क्रम सं0	आंगनबाडी कार्यकत्री का नाम	सम्पर्क	आंगनबाडी सहायिका का नाम	सम्पर्क

- विद्यालय के कुल छात्र/छात्राओं की संख्या

क्रम संख्या	प्रकार	छात्रों की संख्या			संपर्क व्यक्ति	फोन नं0
		लडके	लडकियॉ	कुल		
	सरकारी					
1	प्राथमिक					
2	अपर प्राथमिक					
3	हाई स्कूल					
	प्राइवेट					
4	प्राथमिक					
5	अपर प्राथमिक					
6	हाई स्कूल					

- ग्राम पंचायत तथा आस–पास में उपस्थित रोजगार के साधन

क्रम संख्या	अवसर	ग्रम पंचायत में	आस–पास के क्षेत्र में
1	मजदूरी		
2	खेतीहर मजदूरी		
3	व्यवसाय		
4	नौकरी		
5	सामान ढोना		
6	अन्य		

- ग्राम पंचायत में पशुओं की संख्या

क्रम संख्या	पशुओं का प्रकार	संख्या	उद्देश्य
1	गाय		
2	भैंस		
3	बैल		
4	बकरी		
5	अन्य		

संख्याः 2618/सीएस/33–3–2015

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ। दिनांकः 29 सितम्बर, 2015**

विषयः ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 11015/123/2015–पी0बी0, दिनांकः 28 मई, 2015 एवं 30.07.2015 के द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्रान्तर्गत पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने एवं 14 वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस, स्वयं के संसाधनों इत्यादि का अभिसरण (कन्वर्जेन्स) कर ग्राम पंचायतों में संसाधनों की उपलब्धता बेहतर करने पर बल दिया गया है।

जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 'क' में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागी नियोजन द्वारा ग्राम पंचायत की क्षमताओं एवं संसाधनों का आकंलन कर उनकी आवश्यकताओं के चिन्हीकरण एवं अनुभूत आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना वांछित है, जिससे कि ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से पंचायत के सर्वांगीण विकास को लक्षित किया जा सके। सहभागी नियोजन से ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के रूप में न केवल विकसित होगा बल्कि विभिन्न स्रोतों/सेक्टर के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का स्थानीय उत्प्रेरण एवं क्रियान्वयन कर नागरिकों में सुविधा उपलब्ध कराये जाने का साधन बन सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 2015–16 में रू. 3862.60 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के सम्पादन हेतु उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तान्तरित की जानी है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा ग्राम पंचायत में नियोजन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा की गई है, ताकि मूलभूत सुविधाओं पर प्रभावी एवं सरल रूप में पहुँच बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त **14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार परफारमेन्स ग्रान्ट पाने के लिए अर्हता हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्वयं की आय को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना एक अनिवार्य शर्त है,** इसलिए पंचायतों को स्वयं की आय के स्रोतों को बढ़ाने के अन्य प्रभावी रास्ते तलाशने होंगे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जानी है।

1– ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता–

वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने पर बल नहीं दिया जा रहा है एवं न ही पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही हे। सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत मात्र

विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही है, अतः पंचायत स्तर पर परस्पर समन्वय के अभाव में पंचायतों के समग्र विकास की अवधारणा की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों का न केवल विजन स्पष्ट होगा अपितु समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी तैयार होगा, जिससे पंचायतों का सार्वागीण विकास हो सके। अतः यह आवश्यक हो गया है कि पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाये, जोकि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) पर आधारित हो।

2– ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य–

1. ग्राम पंचायत का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है।
2. निर्णय लेने की प्रकिया का विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण।
4. सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा–निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है।

3– योजना के महत्वपूर्ण घटक–

73 संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 यथा संशोधित 1994 के अन्तर्गत उल्लिखित ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों/उत्तरदायित्वों में से निम्नलिखित कार्यो/उत्तरदायित्वों का प्रतिनिधायन किया गया है :–

1. ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव।
2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
3. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह का भोजन
4. ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रख–रखाव।
5. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
6. श्रेणी 'द' के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम यथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन।
8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण।
9. पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।
10. ग्रामीण पुस्तकालय।
11. ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम।
12. ग्रामीण आवास योजनायें–लाभार्थियों का चयन।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन।
14. लघु सिंचाई–लाभार्थियों का चयन।
15. ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।

ग्राम पंचायत विकास योजना के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जायेगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध

संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करते हुए सुविधाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात् ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय की स्थापना, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों का अनुरक्षण तथा आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित किया जायेगा। समस्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार एवं अन्ततः मानव विकास सूचकांक भी बेहतर हो सकेगा।

4– ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु संसाधनों का निर्धारण–

ग्राम पंचायत विकास योजना में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उल्लेख निम्न प्रकार से रहेगा –

(क) स्वयं के स्रोत/संसाधन (कर आदि)

(ख) केन्द्रीय अनुदान

(ग) राज्य अनुदान

(घ) स्वैच्छिक अनुदान

(ङ) केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाएं।

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन हेतु निम्नालिखित केन्द्रीय तथा राज्य की योजना के वित्तीय एवं मानव संसाधन का अभिसरण किया जाएगाः–

1. केन्द्रीय वित्त आयोग
2. राज्य वित्त आयोग
3. मनरेगा
4. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)
5. अंत्येष्टि स्थलों का विकास
6. पंचायत भवनो का निर्माण
7. एन0आर0एल0एम0

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के कर्मचारी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में आपेक्षित योगदान देंगें एवं उपरोक्त के संदर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

5– ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया

क) **<u>जन उन्मुखीकरणः–</u>** योजना बनाये जाने के लिए जन सामान्य की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं सूचना प्रसारण माध्यमों से उपयुक्त वातावरण का निर्माण एवं जन उन्मुखीकरण के माध्यम से जन सहभागिता किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

ख) **<u>संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन–</u>** सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनकी योजना बनाये जाने में भूमिका होगी, को पंचायती राज विभाग द्वारा संवेदीकरण एवं क्षमता संर्वधन किया जायेगा।

ग) **<u>प्रारम्भ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन–</u>** प्रारम्भिक स्थिति में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाये जाने की आवश्यकता, ग्राम पंचायत के पास संसाधन की उपलब्धता एवं पारिस्थितिक विश्लेषण इत्त्यादि के संबंध में ग्राम सभा को बताया जाना होगा।

घ) **<u>पारिस्थितिक विशलेषण–</u>** पारिस्थितिक विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े के साथ–साथ प्रारम्भिक आंकड़ों को विभिन्न माध्यमों से जैसे पी0आर0ए0 टूल्स, सर्वे इत्यादि से आंकड़े

एकत्रित कर पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना होगा। पारिस्थितिक विश्लेषण की ड्राफ्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष विमर्श/चर्चा के लिए रखी जायेगी साथ ही साथ यह रिपोर्ट स्वयं सहायता समूहों, विशेषज्ञों इत्यादि को भी सलाह हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है इसके उपरान्त परिस्थितिक विशलेषण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा।

ङ) **<u>कार्यो का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना</u>**– पारिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही साथ ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम सभा को पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी दी जायेगी इसके उपरान्त जन सामान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिक विशलेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण किया जायेगा।

कार्यो का प्राथमिकीकरण के उपरान्त ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यो का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

च) **<u>ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना</u>**– परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के उपरान्त ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समित द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। ग्राम पंचायतें पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी।

छ) **<u>ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना</u>**– ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।

6) ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु जनपद स्तर पर जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति–

ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वयन समिति होगी, जोकि ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की कार्यकारी समिति होगी। समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। समिति में निम्न सदस्य होंगे–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	सदस्य
7.	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	सदस्य
8.	जिला अल्पसंख्यक अधिकारी	सदस्य
9.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
10.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11.	अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
12.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
13.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत	सदस्य
14.	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई	सदस्य

15.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सदस्य
16.	उपनिदेशक, कृषि प्रसार	सदस्य
17.	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.	सदस्य
18.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
19.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य / सचिव
20.	डी0पी0आर0ओ0 / जिलाधिकारी द्वारा दो नामित प्रधान एवं एक ब्लाक प्रमुख	सदस्य

7) ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप–क्लस्टर स्तर पर

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या की तुलना में पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता में काफी अन्तर होने के कारण 10–10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर तैयार किया जायेगा, प्रत्येक क्लस्टर का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जिसकी देखरेख में क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी।

8) परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये परियोजना / कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मार्गनिर्देशिका में अध्याय–7 'तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के अनुसार ली जायेगी।

9) योजना बनाये जाने की प्रकिया एवं योजना मे लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन

पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) में अपलोड़ किया जायेगा तथा एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाना होगा।

योजना बनाये जाने की प्रक्रिया का शत् प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी द्वारा 03 माह में, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत, मण्डलीय उप निदेशक पंचायत द्वारा 05 प्रतिशत, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 प्रतिशत तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचाायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जायेगा।

10) वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को पारिस्थितिकी विश्लेषण, कार्यशाला, क्षमता संवर्धन इत्यादि कार्य किया जाना होगा अतः इस हेतु वांछित धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद में भी धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने में सहायता होगी। इस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा।

कृपया दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या–　　/33–3/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1. श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
18. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 3215/33–3–2015–10 जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ :दिनांक : 11 दिसम्बर, 2015**

विषयः– ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु जनपद में की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 2618/33–3–2015–10 जीआई/2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु पंचायतों द्वारा स्वयं की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त शासनादेश के अन्तर्गत यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम पंचायतों स्वयं की आय बढ़ाने एवं समग्र विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना का निर्माण करेगी। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित होगी।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जनपद से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियों सम्पादित की जानी है। गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक है कि जन समुदाय के लोगों में अपने उत्तरदायित्व का बोध हो सके। इन गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन में जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति (कृपया शासनादेश 29.09.2015 का पृष्ठ सं0 6 देखें) की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनपद में योजना निर्माण की प्रक्रिया में आरम्भ से लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा योजना का निर्माण पूर्ण होने तक जनपद से ग्राम पंचायत स्तर तक निम्नलिखित गतिविधियों का किया जाना आवश्यक हैः–

क्रम	विषय	गतिविधि	विवरण
1.	वातारण निर्माण	जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति का निर्माण, समिति की बैठक का आयोजन एवं रणनीति का निर्धारण।	जनपद स्तर से ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा 3 माह में एक बार किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि जनपद द्वारा स्वयं की रणनीति तैयार की जाये। इस संबंध में जिला समिति द्वारा बैठक का आयोजन कर बैठक में चर्चा एवं रणनीति का निर्माण किया जाये।

2.	वातारण निर्माण	10 ग्राम पंचायतों पर 1 कलस्टर का निर्माण एवं योजना निर्माण के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का चयन।	जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य संलग्नक–1 में वर्णित है। चूंकि ग्राम पंचायतों की संख्या के सापेक्ष ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या कम है इस कारण योजना निर्माण प्रक्रिया के बेहतर संचालन हेतु प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों पर 1 कलस्टर के निर्माण का निर्णय लिया गया है। निर्मित कलस्टर पर विभिन्न विभागों के विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, पशुपालन विभाग, समेकित बाल विकास परियोजना विभाग, साक्षरता एवं वैयक्तिक शिक्षा, पशु विकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग) को पृथक–पृथक रूप से प्रभारी चार्ज आफिसर नियुक्त किया जाना अपेक्षित है जो योजना निर्माण की प्रक्रिया का बेहतर क्रियान्वयन व अनुश्रवण सुनिश्चित् करेंगे। योजना निर्माण करने हेतु दो रिसोर्स व्यक्तियों की सेवाओं को विषय विशेषज्ञ के रूप में लिया जा सकता है। जनपदों द्वारा निर्मित कलस्टर एवं कलस्टर में आने वाली ग्राम पंचायतों के नामों के साथ प्रत्येक कलस्टर पर नियुक्त चार्ज ऑफिसर का विवरण निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	वातारण निर्माण	कलस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का निर्माण। (कृपया निर्देशिका का पृष्ठ सं0 39 का संदर्भ ग्रहण करें)	कलस्टर स्तर पर रिसोर्स ग्रुप का गठन चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायतों के सचिव, वार्ड के सदस्य, कार्यरत विभागों के खण्ड स्तरीय/ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दो रिसोर्स व्यक्ति को मिलाकर किया जायेगा। ग्रुप का कार्य कलस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराना, पारिस्थितिक विश्लेशण करना, सहभागी नियोजन, योजना निर्माण, क्षमता संवर्धन के लिए रणनीति तैयार कराना इत्यादि सम्मिलित होगा।
4.	वातारण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।	कार्यशाला के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को शासनादेश एवं मार्गनिर्देशिका से अवगत कराना तथा जनपद स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों हेतु रणनीति तैयार कर जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
5.	वातारण निर्माण	जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन।	प्रत्येक जनपद से चार व्यक्तियों का मास्टर ट्रेनर के रूप में चयन कर निदेशालय को उपलब्ध कराना जो राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित होंगे तथा संदर्भ व्यक्ति के रूप में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे।

7.	वातारण निर्माण	जिला स्तरीय कार्यशाला के पशचात् ग्राम सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का अन्मुखीकरण करना।	जनपद स्तर पर चयनित मास्टर ट्रेनर का विवरण निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–3) पर जनपद द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यशाला के पश्चात् ग्राम सचिवों द्वारा अधिकृत ग्राम पंचायतों में बैठक कर ग्राम पंचायत सदस्यों की ग्राम पंचायत विकास योजना के विषय पर संवेदित करना। वातावरण निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को निर्धारित समयावधि (20 दिसम्बर, 2015) तक पूर्ण कराया जायेगा।
8.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन।	राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर का 6 दिवसीय एवं विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रत्येक जनपद से चयनित चार मास्टर ट्रेनर (कुल 200) राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के सम्बन्ध में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये जायेंगे। कुल 300 प्रतिभागियों को 6 बैचों में बांटकर तथा एक ही समय में तीन बैचों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार 12 दिनों में 6 बैच के प्रतिभागी प्रशिक्षित होंगे। प्रशिक्षण के दौरान ही प्रत्येक जनपद में जिला एवं खण्ड स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों हेतु रणनीति तथा समय–सारिणी भी तैयार की जायेगी। तैयार समय सारिणी के अनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी से चर्चा कर मास्टर ट्रेनर अपने जनपद में जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि 11 से 23 जनवरी 2016) विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं का राज्य स्तर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। (प्रशिक्षण की अनुमानित तिथि 26 से 29 जनवरी 2016)
9.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन।	खण्ड स्तरीय अधिकारियों का जिला स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	खण्ड स्तरीय ए0डी0ओ0 प0/बी0डी0ओ0 को मास्टर ट्रेनर जिला स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेाजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षत होंगे जो खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगे तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर संदर्भ व्यक्ति के रूप में खण्ड स्तर के प्रशिक्षण का हिस्सा रहेंगे। उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों में एक साथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि 01 से 05 फरवरी 2016)
10.		चार्ज आफिसर का खण्ड स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण, कार्यक्रम।	कलस्टर स्तर पर नियुक्त चार्ज ऑफिसर, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों और जे0ई0 की संख्या को देखते हुए सभी प्रतिभागियों को एक बैच में सम्मिलि करते हुए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन खण्ड स्तर पर किया जायेगा। जिसमें द्वितीय स्तर के मास्टर ट्रेनर एवं अन्य विभाग के प्रतिनिध संदर्भ व्यक्ति के रूप में होंगे।

11. 12. 13. 14.	संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन। संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन ग्राम सभा बैठक	ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। खण्ड स्तरीय जे0ई0 का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का खण्ड स्तर पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भिक बैठक का आयोजन।	उक्त प्रशिक्षण सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों में एकसाथ आयोजित होगा। (प्रशिक्षण की संभावित तिथि –15 से 19 फरवरी 2016) खण्ड स्तर पर आयोजित दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि प्रति ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्य) प्रतिभागी होंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड से दो कलस्टर की ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर एक बैच का निर्माण होगा। इस प्रकार अनुमानतः 4–5 बैच में ब्लाक की सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगे। (प्रशिक्षिण की संभावित तिथि–01 से 18 मार्च 2016) प्रशिक्षिण के पश्चात् ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन कर समुदाय को ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के विषय पर संवेदित कर योजना निर्माण हेतु तिथि का निर्धारण किया जायेगा।
15.	पारिस्थिति विशलेषण	प्रारम्भिक (Primary) एवं सहयोगी (Secondary)	ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद समस्याओं एवं उनके निवारण विषयक प्रारम्भिक एवं सहयोगी आंकड़ों का संकलन किया जायेगा जिसकी मदद से कार्यों का अनुश्रवण एवं प्रगति एक्शन सॉफ्टवेयर पर मूल्यांकन अपलोड की जायेगी।

अतः दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपर्युक्त गतिविधियों को चरणबद्ध रूप में कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः

1. जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य।
2. कलस्टर व चार्ज ऑफिसर विवरण हेतु प्रारूप।
3. मास्टर ट्रेनर विवरण हेतु प्रारूप।
4. ग्राम पंचायत विकास योजना का शासनादेश।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।
6. प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज।
7. क्षमता संवर्धन समय–सारिणी।

भवदीय

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या– /33–3/2015 तद्विनाक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु।

1. श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. समसत मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचयतीराज, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त मंडलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
18. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

संलग्नक–1

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य–

1. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से संबंधित शासकीय आदेशों / प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना।
2. जिला एवं खण्ड स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित कराना।
3. विभिन्न योजनाओं विशेषतः मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित कराना।
4. ग्राम पंचायत समूहों के सीमांकन को यथावश्यक मुख्य दिशा–निर्देशों के अंश के रूप में निर्धारित करना।
5. जिला स्तर पर वातावरण निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों तथा मीडिया योजना के मध्य समन्वयन स्थापित कराना।
6. क्षेत्रीय के मुद्दों से जुडे प्रश्नों का उत्तर देना, अवश्यकता के अनुरूप समस्या का निवारण और संकट प्रबंधन करना।
7. ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उनकी स्पश्ट जिम्मेदारियॉ तय करना।
8. सभी संबंधित पक्षों का क्षमता निर्माण।
9. राज्य के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी ग्राम पंचायतों के सभी सहायक आंकडों (Secondary Data) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. तकनीकी मूल्यांकन और परियोजनाओं के अनुमोदन के मध्य समय से समन्वयन सुनिश्चित करना।
11. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का जिला स्तर से अनुश्रवण व मूल्यांकन करना।
12. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
13. जनपद में ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति, उससे जुडे मुद्दों तथा सर्वोत्तम प्रयासों पर मूल्यांकन समिति को रिपोर्ट और राय देना।

जनपद स्तर पर निर्मित क्लस्टर एवं चयनित चार्ज ऑफिसर का विवरण

संलग्नक–2

क्रम सं0	जनपद	ब्लाक	ग्राम पंचायतों की संख्या	क्लस्टर की संख्या	क्लस्टर की पंचायतों के नाम	चार्ज ऑफिसर का नाम	चार्ज ऑफिसर का पद	चार्ज ऑफिसर का मोबाइल नं0	चार्ज ऑफिसर का ई–मेल
				क्लस्टर सं0–1					
					1				
					2				
					3				

जनपद स्तर पर चयनित मास्टर ट्रेनर का विवरण

संलग्नक–3

क्रम सं0	जनपद	मास्टर ट्रेनर की संख्या	मास्टर ट्रेनर का नाम	विभाग का नाम	मास्टर ट्रेनर का मो0 नं0	मास्टर ट्रेनर का ई–मेल
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया

संलग्नक–5

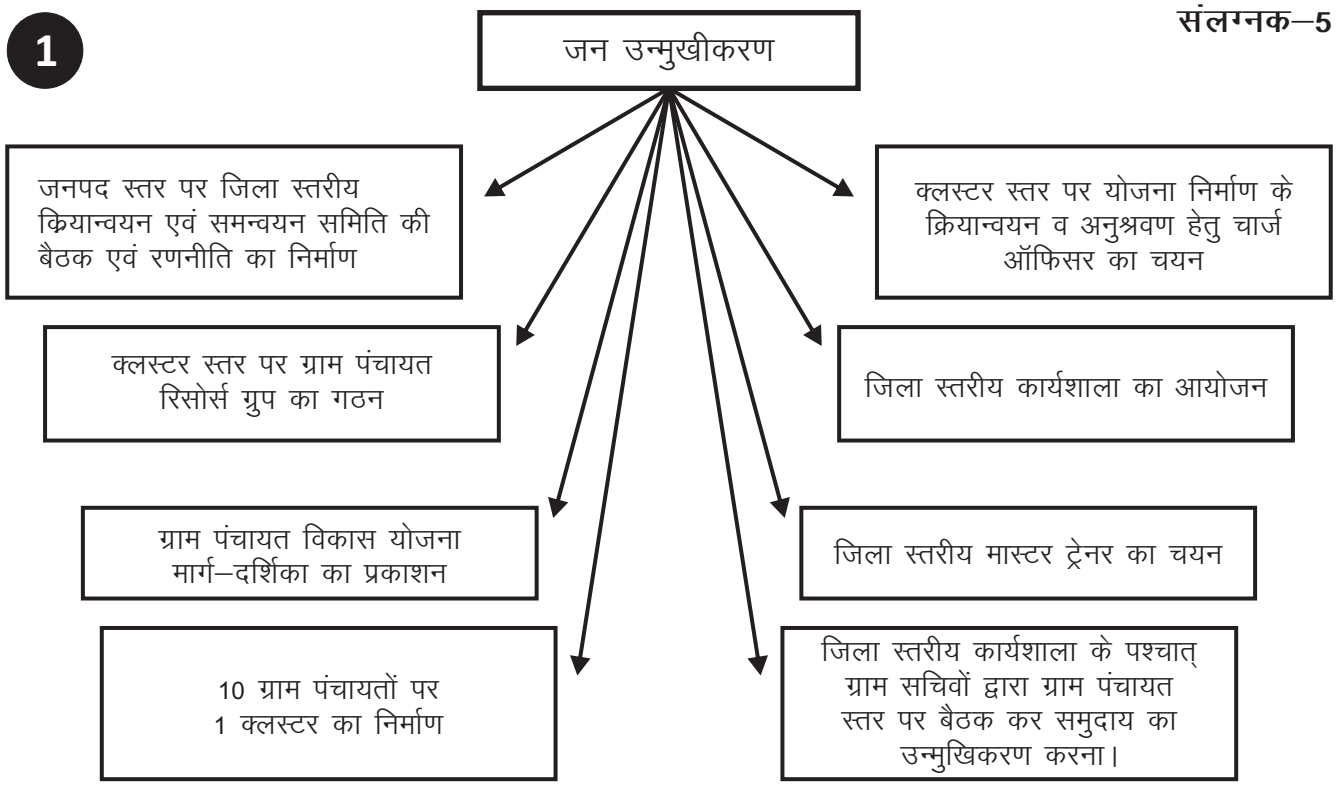

संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन

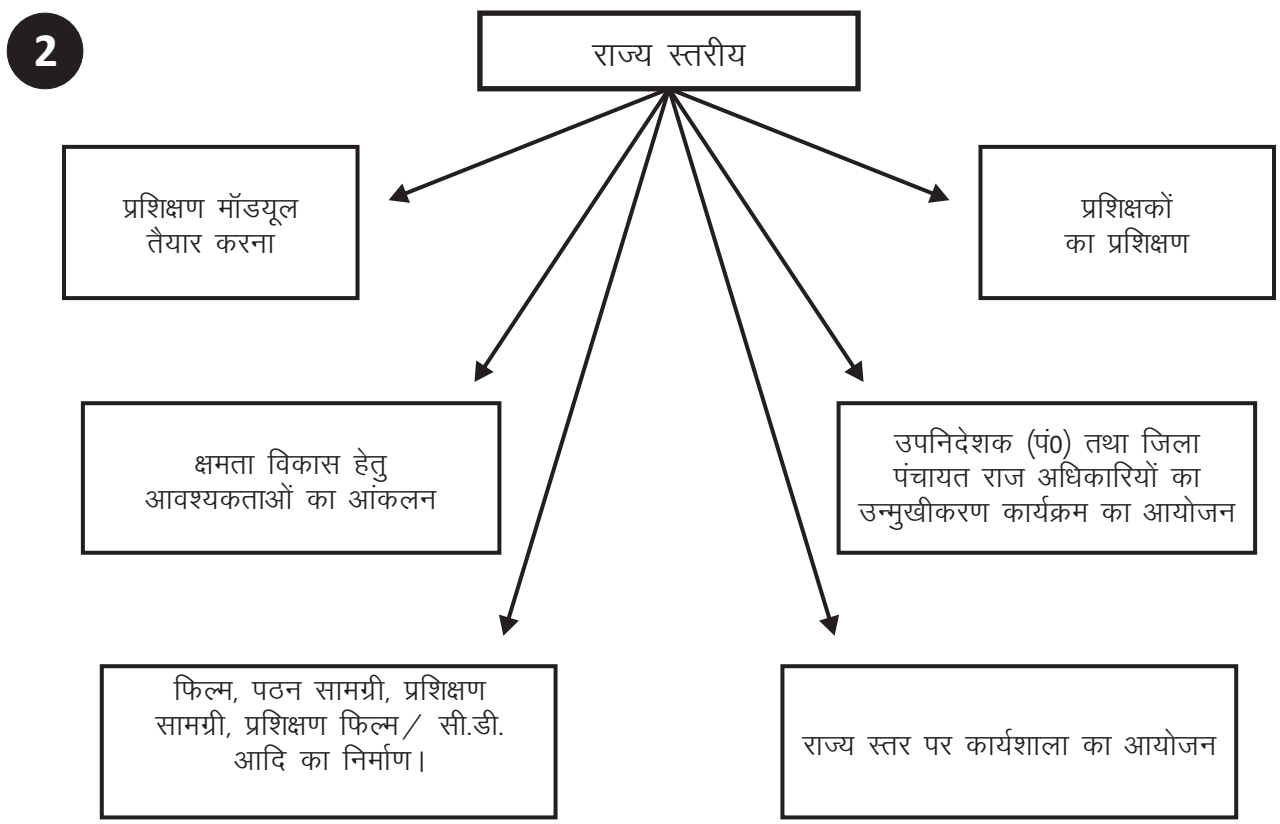

संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन

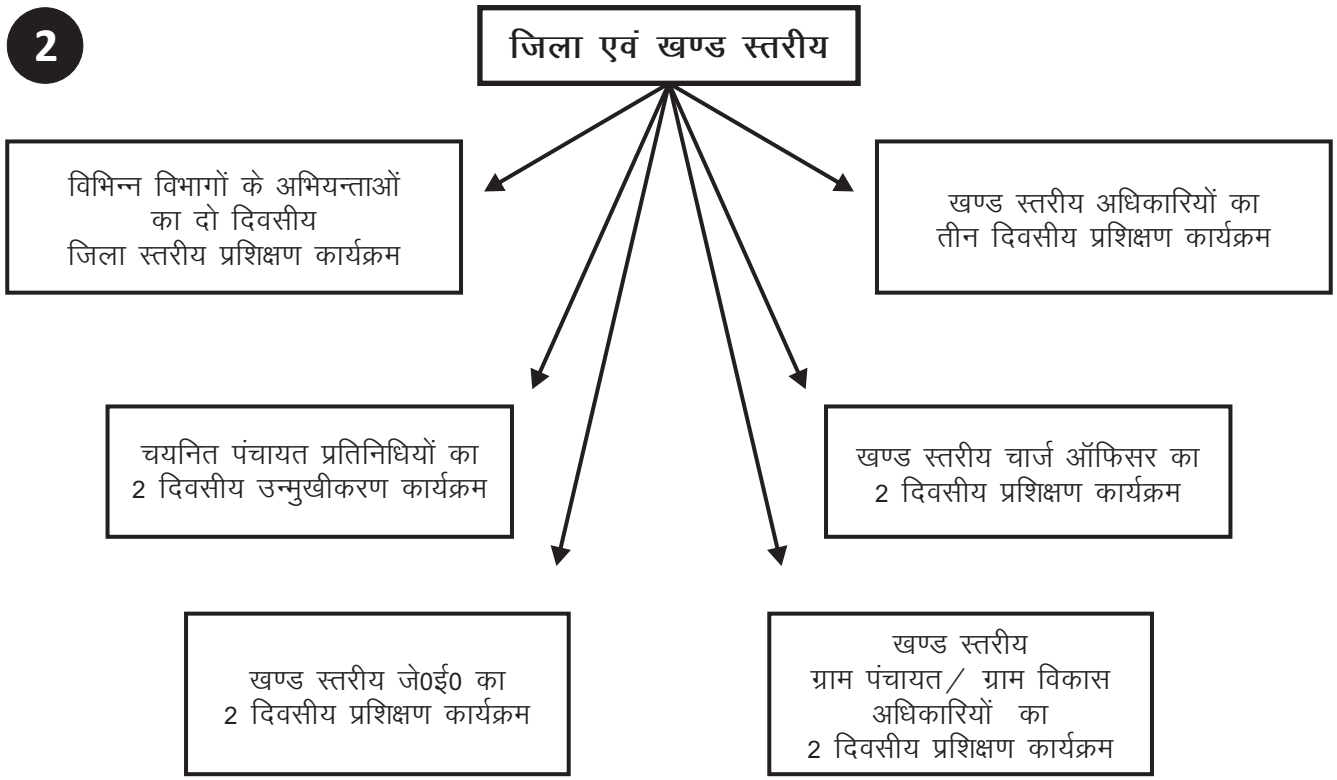

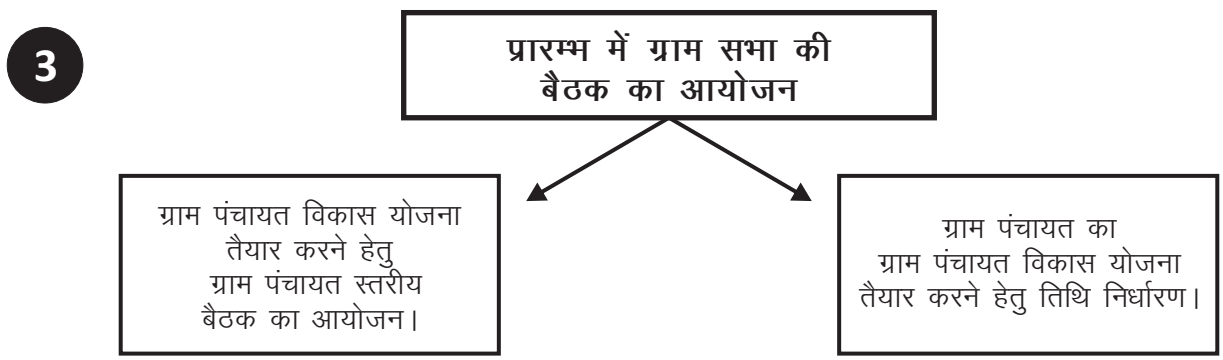

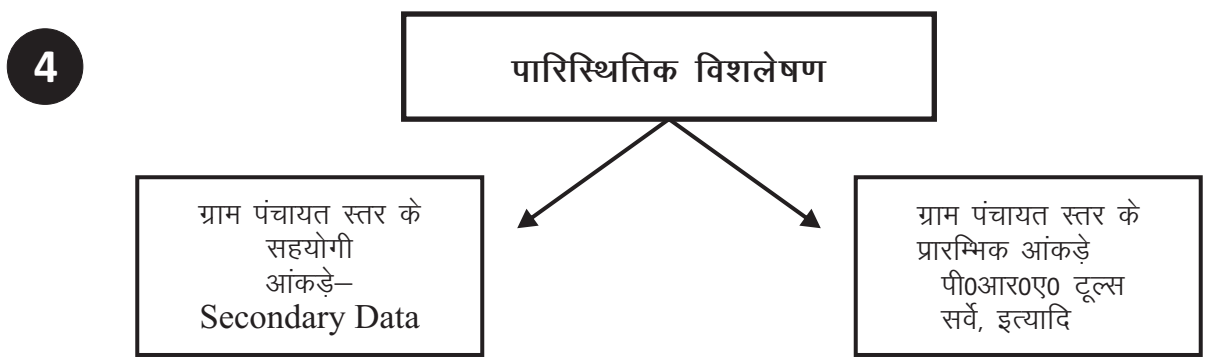

4 कार्यों का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार करना

- पारिस्थितिक विश्लेषण की रिपोर्ट ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करना।
- ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण करना तथा पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करना।
- जन सामान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिक विशलेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण करना।
- ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यो का परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।

5 ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देना

- ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समित द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना।
- ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखना।
- ग्राम पंचायतें द्वारा पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना।

6 ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति

- ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखी जायेगी।

7 परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

- रू0 50,000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा
- रू0 50,001 से रू0 250000 तक की कार्ययोजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा
- रू0 250001 से रू0 500000 तक कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा
- रू0 500001 से उपर की कार्ययोजना का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा

8 योजना बनाने की प्रकिया एवं योजना मे लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन

- पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) में अपलोड़ किया जाना।
- एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाना।
- योजना बनाये जाने की प्रकिया का शत् प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी द्वारा 03 माह में किया जाना।
- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- मण्डलीय उप निदेशक पंचायत द्वारा 05 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जाना।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचाायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जाना।

Training Calendar for GPDP Annexure-6

S.No.	Training	Number of participants per batch	Number of batches	Duration	Date of training	Resource person
1	State level workshop for planning and implementation of GPDP	80-90 (State level resource group, National level resource group, PR and line department representatives and Media persons)	1 at state level	2 days		State level resource persons and Subject matter specialist
2	TOT training for preparing master trainers at state	300 (resource persons of SIRD, PR officials etc.)	6 at state level (three batches	12 days		State level resource persons
3	Orientation cum training on GPDP to departmental	100 (State level officials, DDs and DPROs)	2 at state level	2 days		State level resource persons
4	Two days training programme of the	75	1 at state level			State level resource persons
5	Block level officials training programme at	Approx. 25-40 (ADO panchayat and BDO)	1 batch in a district	3 days		Master trainer/ Engineer
6	Charge officer, Secretary and JEs training programme at block level	Approx. 40 (Charge officer, Secretary, Tech. Asst. MNREGA and JE)	1 batch at each block	2 days		Master trainer/ Engineer/ Block level officials
7	Panchayat representatives orientation training (Pradhan and Ward member) of two cluster at block level	2 cluster panchayat representative and ward members	4-5 batch at block level	2 days (total 8 to 10 days in a block)		Master trainer/ Engineer/ Block level officials

UP